

भारतीय गैर न्यायिक

पचास  
रुपये

रु.50

भारत



FIFTY  
RUPEES

Rs.50

INDIA

INDIA NON JUDICIAL

UTTAR PRADESH

M 307593

जगरूप सिंह 'नागा बाबा' ट्रस्ट

न्यास विलेख (Instrument of Trust)

यह न्यास विलेख आज दिनांक 08-09-2009 को गाजीपुर में डॉ० देवेश कुमार सिंह पुत्र श्री पारस नाथ सिंह निवासी मुहल्ला-सिंह कटरा, निकट रेलवे क्रासिंग, रौजा, गाजीपुर विकास खण्ड व तह०-गाजीपुर सदर, जिला-गाजीपुर द्वारा धांपित किया गया-

जिन्हें आगे न्यासकर्ता / संस्थापक कहा जायेगा क्योंकि न्यासकर्ता संस्थापक पर रूपया 5000/- (पाँच हजार रूपया मात्र) की राशि है जिस कि वह पुरुषार्थ एवं सामाजिक कार्यो हेतु दान देने की इच्छा करते है। न्यासकर्ता / संस्थापक उक्त राशि का अप्रति सहरणीय न्यास बनाने हेतु इच्छुक है जो कि समाज उत्थान हेतु सामाजिक, सांस्कृतिक, भौगोलिक आदि दृष्टिकोण के आधार पर संस्थाहित, जनहित एवं समाज हित को ध्यान में रखते हुये शिक्षा क्षेत्र के साथ-साथ अन्य क्षेत्रों जैसे-प्राथमिक, उच्च, चिकित्सा, व्यावसायिक आदि क्षेत्र में विशेष रूप से कार्य करेगा क्योंकि यह ट्रस्ट जगरूप सिंह 'नागा बाबा' के नाम से जाना जायेगा तथा कार्य करेगा जिसे कि आगे संक्षिप्त में ट्रस्ट भी कहा जा सकेगा। क्योंकि ट्रस्ट का न्यासकर्ता मैनेजिंग ट्रस्टी होगा जिसे कि आगे ट्रस्ट का अध्यक्ष कहा जा सकेगा। न्यासकर्ता / संस्थापक की यह भी इच्छा है कि वह विभिन्न श्रोतों से दान, उपकार, ऋण आदि भी सम्मिलित है, जिसके द्वारा ट्रस्ट के कोष सम्पदा एवं साधनों को बढ़ाये ताकि ट्रस्ट अपने उद्देश्यों में प्रभावी रूप से सफल हो सके और न्यासकर्ता / संस्थापक ने अपनी इच्छा के अनुकूल 5000/- (पाँच हजार रूपये) की नकद राशि ट्रस्ट को प्रदान की है क्योंकि वर्तमान में इस ट्रस्ट का पंजीकृत कार्यालय मुहल्ला-सिंह कटरा, निकट रेलवे क्रासिंग, रौजा, गाजीपुर, विकास खण्ड व तह०-गाजीपुर सदर, जिला-गाजीपुर (30800) में रहेगा एवं अधिक सूविधा जनक स्थान मिलने पर इस कार्यालय को समय-समय पर उचित स्थान पर स्थानान्तरित किया जा

क्रमशः : .....2

देवेश कुमार सिंह





श UTTAR PRADESH

M 307594

(2)

सकेगा। क्योंकि न्यासकर्ता/ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति हेतु नियमावली निम्न प्रकार धाराबद्ध घोषित किया जाता है।

जगरूप सिंह 'नागा बाबा' ट्रस्ट (इण्डियन ट्रस्ट एक्ट 1882 के अन्तर्गत कार्यरत ट्रस्ट)

#### उद्देश्य एवं नियमावली -

- 1- ट्रस्ट के उद्देश्य : ट्रस्ट के निम्नलिखित उद्देश्यों की पूर्ति के लिये कार्य करेगा-
  - 1 बिना लिंग भेद किये हुए सबके लिये प्राथमिक पाठशाला, जूनियर, हाईस्कूल, इण्टरमीडिएट कालेज, महाविद्यालय, पुस्तकालय, वाचनालय, प्रयोगशालाओं, चिकित्सालयों, अनाथालयों, वृद्धाश्रमों, अनुसन्धान केन्द्रों, छात्रावासों, कम्प्यूटर केन्द्रों, निराश्रितों, सामुदायिक विकास केन्द्रों, सर्वेक्षण केन्द्रों, पर्यावरण, एड्स उत्थान केन्द्रों की स्थापना, नामकरण, विकास, सम्बद्ध आबद्ध, प्रबन्ध संचालन आदि कर सकता है तथा आवश्यकता होने पर विभिन्न परिषदों, विभागों, प्रतिष्ठानों, संस्थाओं, शासन आदि से उन्हें सम्बद्ध आबद्ध पंजीकृत, अनुमोदित, स्वीकृत कराना।
  - 2 ग्राम विकास अभिकरण की गतिविधियों का संचालन करना।
  - 3 खादी ग्रामोद्योग बोर्ड की स्थापना एवं संचालन करना।
  - 4 कृषि कार्य हेतु बंजर भूमि का सुधार एवं कटाव रोककर जल संरक्षण एवं नदी का संरक्षण करना।
  - 5 उद्यानीकरण एवं जंगलादि का विकास करना।
  - 6 महिला बालविकास एवं स्वास्थ्य सहयोग हेतु विविध कार्यक्रम संचालित करना।
  - 7 प्रतियोगात्मक परीक्षाओं की तैयारी हेतु संस्थाओं की स्थापना करना।
  - 8 कृषि संगीत सम्बन्धित आदि विषयों की शिक्षा तथा उसको विकास हेतु संस्थान की स्थापना करना।

देशरूप सिंह



क्रमशः .....3



7 UTTAR PRADESH

M 307595

(3)

9. केन्द्र सरकार के सभी विभागों मानव संसाधन, समाज कल्याण, नाबाई, कपाट, सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता मंत्रालय, समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, महिला कल्याण, नेहरू युवा केन्द्र, खेलकूद युवा कल्याण मंत्रालय, ग्रामविकास मंत्रालय आदि सभी विभागों के कार्य का संचालन करना।
10. आई0टी0आई0 आई0आई0टी0, पालिटिकल इंजिनियरिंग, फार्मसी नर्स ट्रेनिंग, आपरेशन टेक्नीशियन, लैब टेक्नीशियन, फिजियो थरेपी आदि मेडिकल कालेजों की स्थापना एवं संचालन करना।
11. समाज के लोगों के लिये हास्पिटल, नर्सिंग होम, स्वास्थ्य केन्द्र, मेडिकल स्टोर, जनरल स्टोर, किराना की दुकान, फोटोस्टेट, टाईपिंग, कम्पनी फर्म इत्यादि की व्यवस्था करना।
12. पुस्तकालय, वाचनालय, पत्र-पत्रिकाओं, समाचार पत्रों इत्यादि का प्रकाशन, मुद्रण, विक्री एवं मूल्य का निर्धारण करना।
13. अन्धे, मूंगे, बहरे, असहाय लोगों के लिये शिक्षा, चिकित्सा, आवास, भोजन इत्यादि की व्यवस्था करना।
14. विभिन्न विषयों के पाठ्यक्रमों तथा व्यावहारिक, प्रायोगिक कला, वाणिज्यिक, वैज्ञानिक, क्रीड़ा मार्शल आर्ट, संगीत, तकनीकी, सामाजिक, आधुनिक भाषा, उर्दू, अंग्रेजी, कम्प्यूटर, प्रोफेशनल आदि विषयों का विभिन्न स्तर पर शिक्षा प्रदान करने का प्रबन्ध करना।
15. विभिन्न प्रतियोगिताओं एवं प्रतिस्पर्धा परीक्षाओं में छात्र/छात्राओं को सफल बनाकर स्वावलम्बी बनाने हेतु उनके अध्ययन, अध्यापन, आवास आदि सुविधाओं का प्रबन्ध करना।
16. साहित्यिक पुस्तकों, पत्रों, पाठ्यक्रमों आदि का सृजन, सम्पादन, प्रकाशन, मुद्रण एवं वितरण कर सकना।
17. सांस्कृतिक, पर्यावरण एवं एड्स कार्यक्रम व अधिवेशन गोष्ठियों, सम्मेलन, प्रतियोगिताएँ, बैठकें, विशेष कक्षाएँ, सत्र प्रोत्साहन आदि कार्यक्रम आयोजित कर सकना।

चेतन मिश्रा



क्रमशः .....4



श UTAR PRADESH


M 307596

(4)

18. सिलाई, कढ़ाई, बुनाई, स्क्रीन प्रिंटिंग आदि की शिक्षा हेतु शिक्षण-प्रशिक्षण केन्द्र की स्थापना करना।
19. व्यक्ति विशेष, अन्य सोसाइटी, ट्रस्ट द्वारा संचालित विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग कालेज, आईटीआई कालेजों को अपने ट्रस्ट द्वारा संचालित करना उनको इस ट्रस्ट में समायोजित कर सकना।
20. ट्रस्ट के उद्देश्य की पूर्ति विभिन्न राष्ट्रीय, अन्तर्राष्ट्रीय संगठनों, संस्थाओं तथा व्यक्तियों से आर्थिक सहयोग प्राप्त कर सकना अथवा प्रदान कर सकना।
21. विधि सम्मति उपयोगी जानकारी का प्रचार एवं प्रसार कर सकना।
22. आयुर्वेदिक औषधियों का उत्पादन करना एवं उसका प्रचार व प्रसार कर सकना।
23. कृषि उपयोगी कार्य कर सकना व उसका प्रचार तथा प्रसार कर सकना।
24. पर्यावरण को सुधारने हेतु प्रयास करना एवं पर्यावरण सुधार के लिये जानकारी देना एवं सेमिनार करना।
25. एडस के बारे में जनजागरण हेतु प्रचार-प्रसार करना।
26. पुरतक/पुरितकाएं, पत्र-पत्रिकाएं, समाचार पत्र आदि को प्रकाशित, सम्पादित, वितरित एवं विक्रय करना।
27. ट्रस्ट द्वारा दी जा रही सेवाओं/वस्तुओं के लिये समुचित शुल्क/मूल्य निर्धारण कर प्राप्त करना।
28. पत्राचार द्वारा अध्ययन अध्यापन को प्रोत्साहित कर सकना तथा तत्संबंधी आवश्यक व्यवस्थाएं कर सकना।
29. उपभोक्ता अधिकार पर्यावरण सुधार, उदार सुधार-जैरो-सामाजिक दायित्व के विषयों पर जन चेतना जागृत करने हेतु कार्य कर सकना।

केन्द्र प्रमुख

क्रमशः : .....5



UTTAR PRADESH

U6AA 478

(5)

30. धार्मिक स्थलों का निर्माण व जिर्णोद्धार कर सकना।
31. जनकल्याण हेतु विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन एवं क्रियान्वयन कर सकना।
32. विभिन्न आयोजनों एवं कारणों हेतु छात्रवृत्ति, पुरस्कार सहायता एवं वित्तीय सहायता स्मृति चिन्ह आदि प्रदान कर सकना।
33. विभिन्न संस्थाओं विद्यालयों, महाविद्यालयों, मेडिकल कालेज, इंजीनियरिंग, कालेज व्यावसायिक कालेजों एवं प्रतिष्ठानों के विशेषाधिकार प्राप्त कर सकना तथा अप-विशेषाधिकार अन्य को प्रदान कर सकना।
34. ट्रस्ट के कोष एवं सम्पदा में वृद्धि करना, विनियोजन करना तथा उसका ट्रस्ट के उद्देश्यों में प्रयोग करना।
35. ट्रस्ट जनसामान्य के हित में कार्य करेगा। ट्रस्ट यथा सम्भव अपनी उत्पादित वस्तुओं के लागत मूल्य पर ही देने का प्रयास करेगा। ट्रस्ट द्वारा जनहित में सड़क, खड्ड-तालाबों का निर्माण कर मछली पालन, पशुपालन तथा मधुमक्खी पालन आदि का प्रचार-प्रसार करना।
36. ट्रस्ट अपने उद्देश्य पूर्ति हेतु जनकल्याण एवं राष्ट्रकल्याणकारी योजनाओं को क्रियान्वयन करेगा।
37. ट्रस्ट अपने समस्त आय एवं लाभ कालान्तर में ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति के लिये व्यय करेगा।
38. किसानों के उत्थान एवं विकास हेतु पालीटेक्निक का निर्माण करना।
39. किसानों के उत्थान हेतु एवं कृषि सुधार हेतु नवीन बीजों की जानकारी देना।
40. फलसंरक्षण, अचार-मुरब्बा, औषधीय खेती की जानकारी देना एवं उत्पादित किये गए माल का आयात-निर्यात करना।

उत्तर प्रदेश

क्रमांक : —



उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

06AA 478488

(6)

**2- प्रारम्भिक उपबंध :-**

1. वर्तमान में ट्रस्ट डीड के पंजीकृत के दिनांक से डॉ० देवेश कुमार सिंह को इस ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष नियुक्त किया जाता है।
2. यदि कोई अन्य व्यवस्था वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी अध्यक्ष डॉ० देवेश कुमार सिंह द्वारा रजिस्टार के यहाँ रजिस्ट्री कर सुनिश्चित न की जाय तो डॉ० देवेश कुमार सिंह के मृत्यु के पश्चात् उनकी पत्नी अर्चना सिंह इस ट्रस्ट के ट्रस्टी अध्यक्ष होगी।
3. वर्तमान मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही जब चाहे अपना उत्तरदायित्व अपने उत्तराधिकारियों को स्थानान्तरित कर सकते हैं।
4. यदि डॉ० देवेश कुमार सिंह के मृत्यु के बाद अर्चना सिंह पत्नी डॉ० देवेश कुमार सिंह ट्रस्टी अध्यक्ष होंगे।

**3- मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद का उत्तराधिकारी/स्थानान्तरण :-**

1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कर्तव्य है कि वह अपने जीवनकाल में अपने उत्तराधिकारी मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की व्यवस्था कर दें।
2. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवनकाल में ही मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का पद किसी को प्रदान कर सकता है।
3. किसी व्यक्ति के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनते ही उसे वह सभी अधिकार प्राप्त हो जायेंगे जो कि इस ट्रस्टीडीड के मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्रदत्त किये गये हैं।

देवेश कुमार सिंह

क्रमशः ..... 7



प्रदेश UTTAR PRADESH

06AA 478489

(7)

4. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने-अपने उत्तराधिकारी की घोषणा न कर पाने एवं व्यवस्था करने से पूर्व मृत्यु हो जाने की अवस्था में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष पद पर आसीन व्यक्ति का व्यक्तिगत उत्तराधिकारी ही ट्रस्ट का मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष बनेगा। कोई असुविधा होने पर उत्तराधिकार अधिनियम की व्यवस्थाओं से मार्गदर्शन प्राप्त किया जा सकता है।
  5. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यह व्यवस्था रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्टर्ड कराके अथवा अपनी वसीयत द्वारा भी यह सुनिश्चित कर सकता है कि अपने जीवन काल के उत्तरार्द्ध में की गयी वसीयत/इच्छा/व्यवस्था ही अन्तिम रूप से मान्य होगी।
  6. यह भी स्पष्ट किया जाता है कि यदि कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष अपने जीवन काल में अपना कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को हस्तान्तरित कर देता है तो वह अपने निर्णय पर पुनर्विचार नहीं कर सकेगा।
  7. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष तभी अपने उत्तराधिकारी हस्तान्तरण विषय पर विचार एवं पुनर्विचार करने हेतु स्वतंत्र है जब तक कि वार्षिक रूप से कार्यभार अपने उत्तराधिकारी को न प्रदान कर दे।
  8. कार्यरत मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा अपने उत्तराधिकारी को दिया गया कार्यभार हस्तान्तरण समस्त अधिकारों सहित पूर्ण माना जायेगा।
- 4- **बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज -**
1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष यदि उचित समझे तो विषयों पर विचार-विमर्श करने एवं सलाह प्राप्त करने हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज का गठन कर सकता है जिसमें की अधिकतम 21 सदस्य होंगे।

हस्ताक्षर सिं



क्रमश : .....8

# भारतीय गैर न्यायिक

बीस रुपये

रु.20



Rs.20

TWENTY  
RUPEES

INDIA NON JUDICIAL

उत्तर प्रदेश UTTAR PRADESH

06AA 478490

(8)

- 2 यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति को ट्रस्टी मनानित करते समय उसका कार्यकाल स्पष्ट करेगा। ट्रस्टी की कार्य अवधि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा पर निर्भर करती है तथा मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी व्यक्ति का कार्यकाल समाप्त होने के पूर्व ही बिना किसी को कोई कारण बताये ट्रस्टी के पद से हटा सकता है।
- 3 यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष जब भी उचित समझे बांडे ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुला सकता है जिसकी अध्यक्षता ट्रस्टी स्वयं करेगा।
- 4 यह कि बांडे ऑफ ट्रस्टी उन्ही विषयों पर विचार करेगा तथा सुझाव देगा, जिनको कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा सुनिश्चित किया जायगा।
- 5 यह कि बांडे ऑफ ट्रस्टीज द्वारा किये गये किसी भी सुझाव का मानना स्वीकार करना अथवा अस्वीकार करना पूर्णतया मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष की इच्छा एवं विवेक पर निर्भर करता है। इस सर्वम में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष क द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अन्तिम होगा।
- 5- **मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का कार्यालय एवं सुविधाएँ -**
  - 1 यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष को ट्रस्ट द्वारा निम्न सुविधाओं से युक्त कार्यालय एवं वाहन की सुविधा उपलब्ध करायी जायगी। इन सुविधाओं के स्तर को सुनिश्चित करने में मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का निर्णय ही अन्तिम रूप से मान्य होगा।
  - 2 यह कि ट्रस्टी/अध्यक्ष अपना उत्तरदायित्व वाहन करने हेतु ट्रस्ट से मासिक मानदेय/भत्ते आदि पर यदि कोई आयकर लगता है तो ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट द्वारा आय से ही आयकर का भुगतान करेगा।
- 6- **कार्यक्षेत्र -**

ट्रस्ट का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण भारत होगा जिसमें सामाजिक उत्थान हेतु विश्व के किसी राष्ट्र व

अध्यक्ष



क्रमशः ..... 9





राज्य UTTAR PRADESH

(9)

06AA 478491

- व्यक्ति विशेष से सहायता एवं परामर्श प्राप्त कर सकता है अथवा दे सकता है।
- 7- **मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष का विशेषाधिकार :-**  
मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष को यह विशेषाधिकार प्राप्त होगा कि वह ट्रस्ट के अन्तर्गत कार्यरत किसी भी अधिकारी/कर्मचारी द्वारा लिये गये निर्णय में हस्तक्षेप कर निरस्त/स्वीकृत/अस्वीकृत/सशोधित कर सकता है। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के कार्यकलापों में किसी भी स्तर पर कोई भी दिशा निर्देश दे सकता है जो सभी सम्बन्धित पक्षों को अन्तिम रूप से मान्य एवं स्वीकार होगा।
- 8- **सचिव/उपसचिवों की नियुक्ति -**  
1. यह कि मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन प्रतिदिन के कार्यों को करने एवं देखभाल करने के लिए ट्रस्ट के लिए एक सचिव एवं आवश्यकता पड़ने पर एक अथवा अधिक उपसचिवों की नियुक्ति कर सकेगा।  
2. यह कि सचिव/उपसचिवों के वेतन भत्ते सुविधाएँ कार्य नियम, मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।  
3. यह कि उक्त सचिव/उपसचिव मैनेजिंग ट्रस्टी के इच्छा तक कार्य करेंगे। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों पर कार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक विधिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त व्यक्तियों के अधिकार एवं कर्तव्य किसी अन्य व्यक्ति को प्रदान कर सकता है।
- 9- **उपाध्यक्ष की नियुक्ति -**  
1. मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष ट्रस्ट के दिन-प्रतिदिन के कार्यों को देखभाल करने के लिये एक

देवेंद्र कुमार सिंह



क्रमशः : .....10



प्रदेश UTTAR PRADESH

(10)

06AA 478495

उपाध्यक्ष की नियुक्ति एवं आवश्यकता पडने पर अधिकतम दो उपाध्यक्षों की नियुक्ति कर सकेगा।

- 2 यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों के वेतन भत्ते, सुविधाएं कार्य मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा निश्चित किये जायेंगे।
- 3 यह कि उपाध्यक्ष/उपाध्यक्षों मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष के इच्छा तक कार्य करेंगे। ट्रस्टी किसी भी समय बिना कोई कारण बताये उक्त पदों परकार्यरत व्यक्तियों के विरुद्ध प्रशासनिक/अनुशासनात्मक कार्यवाही कर सकता है अथवा उक्त कार्यरत व्यक्ति को हटा कर इन पदों पर दूसरी नियुक्ति कर सकता है अथवा उनके अधिकार को किसी व्यक्ति को हस्तानान्तरित कर सकता है।

**10- अध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :**

यह कि इस ट्रस्ट डीड के अन्तर्गत ट्रस्टी/अध्यक्ष को प्राप्त विभिन्न अधिकारी एवं कर्तव्यों के अतिरिक्त ट्रस्टी/अध्यक्ष के निम्न अधिकार व कर्तव्य भी होंगे।

- क- बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं उसकी अध्यक्षता करना।
- ख- ट्रस्ट के समस्त कार्यों का उत्तरदायी ढंग से देख-रेख करने के उपाध्यक्ष, सचिव, उपसचिवों की नियुक्ति करना।
- ग- इस ट्रस्ट डीड में उल्लिखित ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली में संशोधन/परिवर्तन कर सकना जो कि रजिस्ट्रार के यहाँ रजिस्ट्रीकृत होने की दिनांक से मान्य होगा।

**11- उपाध्यक्ष के अधिकार एवं कर्तव्य :**

अध्यक्ष/ट्रस्टी का अनुपस्थिति में अध्यक्ष की लिखित अनुमति से अध्यक्ष द्वारा बताये गये

—२३३३३३३३—



क्रमश : .....11



देश UTTAR PRADESH

06AA 478496

(11)

विषय पर विचार-विमर्श हेतु बोर्ड ऑफ ट्रस्टीज की बैठक बुलाना एवं अध्यक्षता करना परन्तु उपाध्यक्ष बिना अध्यक्ष की अनुमति के कोई निर्णय नहीं ले सकता।

**12- सचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :**

ट्रस्ट के समस्त कार्यों के लिए ट्रस्ट का सचिव अन्तिम रूप से कार्यरत एवं उत्तरदायी है। ट्रस्ट के सचिव के निम्न कर्तव्य एवं अधिकार हैं-

1. ट्रस्ट के उद्देश्यों की पूर्ति करने हेतु सभी उपाय एवं कार्यवाही करना।
2. ट्रस्ट के अन्तर्गत होने वाले सभी कार्यकलापो एवं दिन प्रतिदिन की गतिविधियों पर नियंत्रण रखना।
3. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित कार्यों हेतु पदाधिकारियों की नियुक्ति पदमुक्त तथा उनके विरुद्ध अनुशासनात्मक प्रशासनिक कार्यवाही कर सकता है।
4. विभिन्न कार्यकलापो के उद्देश्यों को पूर्ण करने हेतु प्रकोष्ठो/विभाग केन्द्रों/संस्थाओं/उपसंस्थाओं का गठन कर सकता तथा उनके संयोजकों/निदेशकों/पदाधिकारियों आदि के संचालन हेतु आवश्यकता अनुसार नियम/उपनियम बना सकता।
5. ट्रस्ट को प्राप्त किसी शिकायत की जाँच हेतु समिति गठित करना।
6. एक से अधिक विशेष कार्य अधिकारी नियुक्त होने की स्थिति में उनका कार्य विभाजन करना।
7. प्रचार/प्रसार/मुद्रण/प्रकाशन/वितरण/विक्रय की सर्वोत्तम व्यवस्था करना।
8. जनसामान्य के कल्याणार्थ विभिन्न आयोजन करना।

**13- उपसचिव के अधिकार एवं कर्तव्य :**

1. सचिव के अनुपस्थिति में उनके पद के अधिकार एवं कर्तव्य का पालन करना।

देवेन्द्र कुमार सिंह

क्रमशः .....12



प्रदेश UTTAR PRADESH

(12)

06AA 478497

2. सचिव द्वारा लिखित रूप से प्राधिकृत करने पर उन अधिकारी/कर्तव्यों का पालन करना जो उसे लिखित रूप से प्राप्त है।

3. सचिव द्वारा लिखित रूप से कार्यभार/कर्तव्यों का पालन करना।

14- बैंक एकाउन्ट :

1. ट्रस्ट का खाता किसी भी बैंक में खोला जा सकेगा। मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वयं अथवा उसके द्वारा इस हेतु अधिकृत व्यक्ति मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोल सकता है तथा संचालित कर सकता है।

2. ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित अथवा कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय संस्थान केन्द्र/कार्यक्रम इकाई कार्यालय का पृथक नाम से बैंक खाता खोला गया संचालित किया जा सकता है। इस स्थिति में स्वयं या ट्रस्ट के अध्यक्ष द्वारा अधिकृत व्यक्ति द्वारा दिये गये निर्देशों के अन्तर्गत खाता खोला एवं संचालित किया जा सकता है।

15- विधिक कार्यवाही :

1. यदि संस्था/ट्रस्ट की तरफ से कोई विधिक कार्यवाही की जाती है या उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही होती है तो सचिव अध्यक्ष की अनुमति से अधिवक्ता की नियुक्ति एवं विभिन्न न्यायालयों में पैरवी अथवा किसी को अधिकृत कर सकता है।

16- सम्पत्ति सम्बन्धी :

1. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में वह सभी अधिकार रखता है जो कि एक नागरिक/व्यक्ति को प्राप्त होता है।

2. ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के सम्बन्ध में कोई निर्णय लेने/लेख-विलेख बनाने

सचिव

क्रमशः ..... 13



प्रदेश UTTAR PRADESH

06AA 478498

(13)

- हेतु अध्यक्ष किसी व्यक्ति को अधिकृत कर सकता है।
3. ट्रस्ट का अध्यक्ष, ट्रस्ट की ओर से चल/अचल सम्पत्ति के संबंध में कोई लेख-विलेख बनाने एवं निर्णय करने हेतु पूर्णतया समर्थ एवं अधिकृत है।
  4. ट्रस्ट चल/अचल सम्पत्ति का क्रय विक्रय कर सकता है। रेहन रख सकता है। किराये पर दे सकता है अथवा ले सकता है इसके लिये मैनेजिंग ट्रस्टी/अध्यक्ष स्वतंत्र है।
  5. ट्रस्ट किसी से ऋण, दान, उपहार, आग्रह, भेंट, सम्मान, पुरस्कार, स्मृति चिन्ह, मानदेय आदि प्राप्त कर सकता है और दे सकता है।
  6. ट्रस्ट धन को कहीं भी विनियोजित कर सकता है, सुरक्षित कर सकता है। किसी बैंक, संस्था, कम्पनी आदि की किसी योजना में धन/सम्पत्ति का विनियोजन कर सकता है।
  7. चल/अचल सम्पत्ति की प्रतिभूति भाड़ा क्रय अनुज्ञप्ति बन्धक भारित, गिरवी विभाजित आदि कर सकता है/ले सकता है/दे सकता है।
  8. वर्तमान में ट्रस्ट के पास 5000 (पाँच हजार रुपये) की पूंजी है।

17- विशेष :

क- इस ट्रस्ट के अन्तर्गत संचालित/कार्यरत किसी भी विद्यालय/महाविद्यालय/कार्यक्रम/इकाई/कार्यालय/संस्था उपक्रम के कार्य संचालन हेतु पृथक् से नियम/उपनियम बनाये जा सकते हैं परन्तु यदि वह इस डीड ऑफ ट्रस्ट जगरूप सिंह 'नागा बाबा' ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली के किसी भी प्राविधान का अतिक्रमण करते हैं तो वह नियम/उपनियम, अतिक्रमण की सीमा तक शून्य होंगे।

ख- अध्यक्ष/ट्रस्टी यदि उचित समझे तो किसी परिस्थितियों में इस ट्रस्ट डीड के किसी प्राविधान/प्राविधानों को शिथिल कर सकता है तथा कोई भी निर्णय ले सकता है। इस सम्बन्ध में अध्यक्ष का निर्णय सर्वमान्य होगा। इस धारा के अन्तर्गत अध्यक्ष द्वारा की गयी किसी

—देवेन्द्र कुमार सिंह



क्रमशः : .....14



प्रदेश UTTAR PRADESH

06AA 478499

(14)

कार्यवाही/निर्णय को कही भी किसी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकेगी।  
जगरूप सिंह 'नागा बाबा ट्रस्ट' की उक्त न्यास विलेख एवं उसमें सन्निहित जगरूप सिंह 'नागा बाबा' ट्रस्ट के उद्देश्य एवं नियमावली एतद्वारा अधिनियम अनुमोदित घोषित स्वीकृत आत्मार्पित एवं तत्काल से क्रियान्वित की जाती है।

उक्त न्यास विलेख को पढ़कर एवं समझकर व्यवहार में जाने हेतु निम्न साक्षियों की उपस्थिति में हस्ताक्षर कर दिये गये।

उक्त ट्रस्ट मातीय ट्रस्ट अधिनियम के तहत मान्य है।

साक्षीगण

1. नाम : Anil kr Singh  
पता : Ajendra Babad Singh  
Singh Katra Raup  
Chazipur.
2. नाम : शरदा नरराम शंकर  
पता : मि. आचराम, ग्रा. नु.  
पो. नु. ग्रा. नु. 100 गा. मी.

- देवेश कुमार सिंह



डॉ० देवेश कुमार सिंह  
ट्रस्टी/अध्यक्ष  
जगरूप सिंह 'नागा बाबा ट्रस्ट'

दिनांक :

8-9-09

मसविदाकर्ता  
रजि. नं. 100/2009

127 665X 2010 665X र र  
08/09



आज दिनांक 08/09/2009 को  
वही सं 4 जिल्द सं 28  
पृष्ठ सं 1 से 14 पर क्रमांक 30  
रजिस्ट्रीकृत किया गया ।

एस.के.सिंह  
उप निबन्धक सदर  
गाजीपुर